रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227651
CG-DL-E-16062021-227651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2176] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943
No. 2176] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

Indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

का.आ. 2340(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्रालय संख्या का.आ. 145(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, की अधिसूचना के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन निजी प्रयोगशालाओं की मान्यता, के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 13 के अधीन सरकारी विश्लेषकों के रूप में उनके विश्लेषकों की मान्यता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी।

2. सभी पर्यावरण प्रयोगशालाओं को

(i) प्रयोगशाला की मान्यता का ताजा या नवीनीकरण;

(ii) सरकारी विश्लेषकों के नाम में परिवर्तन; और

(iii) प्रयोगशाला परिसर का स्थानांतरण

के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन जमा करने से पहले व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001:2018) के प्रमाणीकरण के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित सभी मानदंड के परीक्षण मानकों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन बोर्ड (आईएसओआई 7025: 2017) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

3. प्रयोगशाला की मान्यता आईएसओ 17025:2017 के अधीन प्रत्यायन की वैधता अवधि और उसमें प्रत्यायन प्राप्त परीक्षण मानकों के लिए दी जाएगी।

4. प्रयोगशाला की मान्यता किसी मान्यताप्राप्त एजेंसी से आईएसओ 45001:2018 प्रमाणीकरण की वैधता अवधि के लिए दी जाएगी और इसके संचालन के उसी परिसर के लिए वैध होगी जिसके लिए आवेदन किया गया है।

5. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण प्रयोगशालाओं या सरकारी विश्लेषकों की मान्यता के लिए आवेदनों की प्रास्थिति के बारे में जानकारी के प्रसार सहित आवेदन के प्रसंस्करण के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रचालित हो गया है और मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा करने का उपबंध भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

6. प्रयोगशाला या सरकारी विश्लेषक की मान्यता अपेक्षाओं के अनुपालन की स्वघोषणा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी अपेक्षित जानकारी के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आधारित होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित के रूप में अनुपालन रिपोर्ट मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा नामित वेब-पोर्टल पर द्वि-वार्षिक प्रस्तुत किया जाएगा।

7. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या तो स्वयं या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या ऐसे अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से सभी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के लिए वार्षिक रूप से सभी मानकों को कवर करने के लिए, इस तरह के प्रयोग करने के लिए सिद्ध क्षमता वाले दक्षता परीक्षण और अंतर-प्रयोगशाला तुलना प्रयोग आयोजित करेगा और इस तरह के प्रयोग के संचालन से जुड़ी लागत भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा वहन की जाएगी, और इस तरह के प्रयोग के रिकॉर्ड और रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

8. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यताप्राप्त पर्यावरण प्रयोगशालाओं पर लगाई गई शर्तों के सत्यापन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन करके आकस्मिक निरीक्षण का उपबंध करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएंगी।

9. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयोगशाला मान्यता के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा जिसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के सदस्य और विशेषज्ञों को उपयुक्त समझा जाएगा जिसके अंतर्गत परिभाषित मानदंड परीक्षण पैरामीटर, प्रवीणता परीक्षण और अंतर-प्रयोगशाला तुलना प्रयोग के लिए प्रक्रिया, प्रक्रिया और लागत अनुमान, मान्यता के लिए अनुपालन शर्त और प्रयोगशालाओं, आदि द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने के लिए अपेक्षित संबंधित जानकारी सम्मिलित है। इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त अधिनियम के अधीन प्रयोगशाला और सरकारी विश्लेषकों को मान्यता देगा ।

10. विशेषज्ञ समिति वार्षिक रूप से प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों और अन्य प्रक्रिया की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करेगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विचार के लिए आवश्यक सिफारिश करेगी।

11. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. क्यू.-15018/13/2020-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

S.O. 2340(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (thereinafter referred to as the Act.) and in supersession of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Wildlife number S.O 145 (E), dated 21st February, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following orders, namely: -

1. Recognition of private laboratories under clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the said Act, as well as recognition of their Analysts as Government Analysts under section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986, shall be done by the Central Pollution Control Board.

2. All environmental laboratories shall obtain accreditation from the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accreditation (ISO17025:2017) for all criteria testing parameters as defined by Central Pollution Control Board along with certification for Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001:2018) before submission of application to the Central Pollution Control Board for consideration of the said application under the provisions of the said Act, for-

(i) fresh or renewal of recognition of laboratory;

(ii) changes in the name of Government Analysts; and

(iii) shifting of laboratory premises.

3. The recognition of laboratory shall be granted for the validity period of accreditation under ISO17025:2017 and for the testing parameters accredited therein.

4. The recognition of laboratory shall be granted for the validity period of ISO45001:2018 certification from a recognised agency and shall be valid for the same premises of its operation for which the application is made.

5. The Central Pollution Control Board shall ensure that a web based portal, for processing of application including disseminating the information on status of applications for recognition of environmental laboratories or Government Analysts, is made operational within three months from the date of publication of this notification, and the provision for online submission of compliance report submitted by the recognised laboratory shall be also made through this portal.

6. The recognition of laboratory or Government Analyst shall be based on self-declaration of compliance of the requirements and submission of supporting documents for all requisite information as stipulated by the Central Pollution Control Board for grant of recognition by the Central Pollution Control Board, and Compliance report as defined by Central Pollution Control Board shall be submitted by the recognised laboratory bi-annually on designated web-portal.

7. The Central Pollution Control Board shall conduct proficiency test and inter-laboratory comparison exercise either of its own or in collaboration with National Environmental Engineering Research Institute or such research institutes having proven capabilities for undertaking such exercise, for all recognised laboratory bi-annually, covering all parameters annually, and the cost associated in conducting such exercise shall be borne by the participating laboratories, and records and reports of such exercise shall made available in public domain.

8. The Central Pollution Control Board shall make provision for surprise inspection for verification of conditions imposed on the environmental laboratories recognised under the Environment (Protection) Act, 1986 by constituting a joint committee comprising members of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), the Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, and the inspection reports shall be made available in public domain.

IndiaCode

9. The Central Pollution Control Board shall constitute an expert committee comprising of members from the Ministry of Environment Forests and Climate change ,State Pollution Control Boards, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories and National Environmental Engineering Research Institute and experts as deemed appropriate, to review and revise the existing guidelines for laboratory recognition including defined criteria testing parameters, procedure, process and cost estimate for proficiency test and inter-laboratory comparison exercise, compliance condition for recognition and corresponding information required for online submission of compliance report by laboratories, etc., within three months of publication of this notification, and based on the recommendation of expert committee, the Central Pollution Control Board shall recognise the laboratory and the Government Analysts under the said Act.

10. The expert committee shall review and reassess the procedures, guidelines and other process annually and make necessary recommendation for consideration of the Central Pollution Control Board.

11. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. Q-15018/13/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.16 20:40:42 +05'30'